


सं० 55/1/1/95-मंत्रि०

भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय215
9/Cनई दिल्ली, 24 मई, 1995
3 ज्येष्ठ, 1917 शक

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्देश दिया है कि श्री पी० चिदम्बरम्, वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री {स्वतंत्र प्रभार} को निम्नलिखित मदों के लिए, जो एक से अधिक विभागों को प्रभावित करती हैं, कार्य संचालन का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंप जायगा :-


- {i} श्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित सभी मामले जिनमें विचारण के मामले भी शामिल हैं ;
- {ii} न्यायमूर्ति श्री जे०एस० वर्मा की अध्यक्षता में बनाए गए जांच आयोग के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित सभी मामले ; और
- {iii} न्यायमूर्ति श्री एम०सी० जैन की अध्यक्षता में बनाए गए जांच आयोग से संबंधित सभी मामले ।


{ दा०म० मोहन राव }
कृते मंत्रिमंडल सचिव
दूस्भाष: 3015802

सेवा में,

मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य ।

प्रतिलिपि, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।



{ दा०म० मोहन राव }
कृते मंत्रिमंडल सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित:-


राष्ट्रपति के सचिव ।

उप-राष्ट्रपति के सचिव ।


प्रतिलिपि, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


{ दा०म० मोहन राव }
उप सचिव, मंत्रिमंडल

प्रतिलिपि, भारत सरकार के सभी सचिवों/विशेष सचिवों/अपर सचिवों/अध्यक्ष, रेल बोर्ड/लेखा अधिकारी, वेतन और लेखा कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित ।


 § दा०म० मोहन राव §
 उप सचिव, मंत्रिमंडल

प्रतिलिपि, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/लोक सभा सचिवालय/प्रश्न शाखा/राज्य सभा सचिवालय/प्रश्न शाखा/स्थापना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/विदेश मंत्रालय/प्रोटोकॉल डिवीजन/पत्र सूचना कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।


 § वा०म० मोहन राव §
 उप सचिव, मंत्रिमंडल

प्रवीन

300 प्रतियां